## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–  मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 02 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018 | 16.01.2018 | 18.02..2022 |

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू एफ.बी.ओ मैसर्स लोकेश ट्रैडिग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 चूँगी नाका के पास दूनी जिला टोंक राज0

2– मैसर्स लोकेश ट्रैडिग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण की और से उनके उपस्थित

:–निर्णय–:  दिनांक 18.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.10.2017 को समय 3.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लोकेश ट्रैडिग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू एफ.बी.ओ मैसर्स लोकेश ट्रैडिग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 चूँगी नाका के पास दूनी जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ. बी. ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:16:05 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान शुद्ध सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahavir Pankaj

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand Tin Pack)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री लोकेश कुमार साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता लोकेश कुमार साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 15–15 किलोग्राम के 8 नग टिन **शुद्व सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** रखे हुये मे से एक टिन पैक का चयन कर नियमानुसार टिन को खुलकर 1600 ग्राम शुद्व सरसो तेल बाट मापक से साफ व सूखे स्टील के जग मे तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री लोकेश कुमार साहू को रू0 124/–अक्षरे एक सौ चोबीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शुद्व सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** खरीदशुद्वा 1600 ग्राम को चार साफ व सूखे कॉच के जार मे अलग–अलग 400–400 ग्राम बाट मापक से तुलवाकर कॉच के जारो मे भरा चारो जारो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1736 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1736 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. लोकेश कुमार साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को [illegible] एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2017/[illegible]468 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा [illegible] प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रिपोर्ट सं0 एल0एस0/615/एक्ट/2017/622 दिनांक 16.10.2017 अनुसार लोकेश कुमार साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **शुद्ध सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **शुद्ध सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के प्रतिनिध द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुद्ध सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुद्ध सरसो तेल महावीर पंकज ब्राण्ड टिन पैक (Pure Mustard Oil Mahaveer Pankaj Brand Tin Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू एफ.बी.ओ मैसर्स लोकेश ट्रैडिग कम्पनी मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 19 चॅौकी नाका के पास दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की ज[illegible]भियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये [illegible] मद में निर्णय दिनांक 18.02. 2022 से एक माह के अन्दर अ[illegible]रें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

18-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested